संख्या–बी–2–1701 / दस–2014–2 / 14
पंचायती राज अनु0–3 की पत्रा.सं.–100(10) / 2012

प्रेषक,

लहरी यादव,
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊः दिनॉकः 08 मई, 2014

विषय :–तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदेश की जिला पंचायतों को लेखानुदान अवधि (चार माह) के लिये व्यवस्थित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रदेश की जिला पंचायतों को दी जाने वाली सामान्य समनुदेशन की कुल धनराशि ₹ 77000.00 लाख में से लेखानुदान अवधि (चार माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2014) की धनराशि ₹ 25667.00 लाख की 1% धनराशि (ए.टी.आर. में उल्लिखित संस्तुति संख्या–75 के अनुसार परिक्रमी निधि हेतु 1% धनराशि) को छोड़कर 99% धनराशि **₹ 25410.33 लाख (रूपये दो सौ चौवन करोड़ दस लाख तैंतीस हजार मात्र)** को संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार जिला पंचायतों को दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

निकाय का नाम	स्वीकृत धनराशि
जिला पंचायतें	25410.33 लाख

2– संलग्न सूची में उल्लिखित जिला पंचायतों को धनराशि तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दी जा रही है।

3– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत की जा रही हैः–

(1) जिला पंचायतों को लेखानुदान अवधि (चार माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, 2014) के लिये स्वीकृत की जा रही धनराशि निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा शासनादेश के साथ संलग्न सूची में इंगित जिले के सम्मुख कॉलम 3 में जिला पंचायतों के लिये आवंटित धनराशि के अनुसार,**दो बराबर किश्तों में (एक किश्त तत्काल तथा दूसरी किश्त 01 जुलाई, 2014 के उपरान्त)** कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से आहरित कर ई–पेमेंट के द्वारा सीधे जिला पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी। निदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ई–पेमेंट हेतु जिला पंचायतों का बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.डी. कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है वह सही है।

(2) संस्तुति संख्या–67 के अन्तर्गत जिला पंचायतों को सक्रंमित की जा रही धनराशि का कम से कम 10 प्रतिशत भाग सम्पत्तियों (सड़कों सहित) के अनुरक्षण पर व्यय किया जायेगा और इस हेतु प्रत्येक जिला पंचायत द्वारा सक्रंमित धनराशि का 10 प्रतिशत अंश अनुरक्षण हेतु आरक्षित रखा जायेगा।

(3) जनपद **हापुड़** की धनराशि जनपद **गाजियाबाद**, जनपद **शामली** की धनराशि जनपद **मुजफ्फरनगर** तथा जनपद **सम्भल** की धनराशि जनपद **मुरादाबाद** व **बदायूं** के साथ सम्मिलित है।

(4) धनराशि के आहरण के एक सप्ताह के भीतर जिला पंचायत द्वारा आहरण की बाउचर संख्या व दिनांक सहित प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन गठित जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक को प्रेषित की जायेगी जो अपने स्तर से धनराशि के आहरण की संहत सूचना पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये धनराशि दी जा रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(6) पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश स्वीकृत धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

4– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–61 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेतर–196–जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता–03–राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन–0301–सामान्य समनुदेशन–28–समनुदेशन" के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

संख्या–बी–2–1701/दस–2014–2/14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
4– पंचायती राज अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन।
5– समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7– मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9– उपनिदेशक, जिला पंचायत, अनुश्रवण कोष्ठक, पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
10– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
11– निदेशक, पंचायती राज (लेखा), इन्दिरा भवन, 10 वां तल, लखनऊ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
वित्तीय सलाहकार (बजट) एवं विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या बी–2–1701 / दस–2014–2 / 14 दिनांक 08 मई, 2014 का संलग्नक

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत जिला पंचायतों को वर्ष 2014–15 में लेखानुदान अवधि की सामान्य समनुदेशन की धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या– 61

3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा
196- जिला पंचायतो / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता –
03- राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन –
0301- सामान्य मनुदेशन –
28- समनुदेशन –

(धनराशि रूपये में)

क्रम संख्या	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
1	अमरोहा	20836471
2	आजमगढ़	72419441
3	बागपत	17279024
4	बस्ती	35828565
5	गोण्डा	47517317
6	गोरखपुर	54886313
7	जालौन	23123400
8	कानपुर नगर	24648020
9	खीरी	55902726
10	कुशीनगर	53107590
11	सीतापुर	69624304
12	सुल्तानपुर	34812152
13	बदायूँ	46246801
14	बलिया	48533730
15	बलरामपुर	29475983
16	बाँदा	26680847
17	बुलन्दशहर	38877805
18	कानपुर देहात	26172640
19	कौशाम्बी	26934950
20	महोबा	12196958
21	मुरादाबाद	48533730
22	रायबरेली	37607288
23	संत रविदास नगर	21852884
24	शाहजहाँपुर	36844978
25	श्रावस्ती	24393917
26	बहराइच	44976284
27	बाराबंकी	41672941
28	मैनपुरी	24139813
29	मथुरा	25918537
30	फैजाबाद	38369598
31	कांसगंज	19565954
32	बरेली	44722181
33	एटा	25664433
34	देवरिया	47009111
35	गाजियाबाद	26934950

08.05.2014

(धनराशि रूपये में)

क्रम संख्या	जनपद	जिला पंचायतों को समनुदेशन
1	2	3
36	लखनऊ	24139813
37	हाथरस	20074161
38	महाराजगंज	41418838
39	आगरा	36844978
40	अम्बेडकरनगर	34303946
41	अमेठी	36082669
42	औरैया	20582367
43	बिजनौर	45738594
44	चित्रकूट	18041334
45	हरदोई	61238895
46	जौनपुर	68353788
47	झाँसी	20582367
48	कन्नौज	21344677
49	ललितपुर	17024921
50	मऊ	29475983
51	मिर्जापुर	40148321
52	प्रतापगढ़	50312453
53	सहारनपुर	42435251
54	संत कबीर नगर	26172640
55	सोनभद्र	33541636
56	उन्नाव	43959871
57	इलाहाबाद	70894821
58	फतेहपुर	41164735
59	गौतमबुद्धनगर	11180545
60	मुजफ्फरनगर	50820660
61	सिद्धार्थनगर	41927044
62	अलीगढ़	38623702
63	मेरठ	29730086
64	चन्दौली	29730086
65	इटावा	20328264
66	फर्रूखाबाद	21598781
67	फिरोजाबाद	25410330
68	गाजीपुर	54632210
69	हमीरपुर	18041334
70	पीलीभीत	24393917
71	वाराणसी	32271119
72	रामपुर	25156227
73	हापुड़	0
74	शामली	0
75	सम्भल	0
		2541033000

(रूपये दो सौ चौवन करोड़ दस लाख तैतीस हजार मात्र)

08.05.2014